25

मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 5–20/2017/अ–तेहत्तर भोपाल, दिनांक : 10/10/2017

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय–उद्योग संवर्धन नीति,2014 अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को मण्डी शुल्क की राशि प्रतिपूर्ति करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।

———

विषयांतर्गत में वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ 16–05/2017/अ–ग्यारह, दिनांक 15.09.2017 द्वारा लिया गया निर्णय के परिप्रेक्ष्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को मण्डी शुल्क की प्रतिपूर्ति का लाभ दिए जाने हेतु निम्न अनुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1. मण्डी शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 के अंतर्गत दिए गए प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें "मण्डी शुल्क में छूट" को मण्डी शुल्क की प्रतिपूर्ति से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. मण्डी शुल्क की प्रतिपूर्ति जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा स्वीकृत की जाएगी।
3. उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत जिन इकाईयों को समिति द्वारा पूर्व में मण्डी शुल्क की छूट स्वीकृत की गई है और उन्हें छूट प्राप्त नहीं हुई थी तथा उनके द्वारा मण्डी शुल्क जमा किया गया है, ऐसे प्रकरणों में सीधे ही पात्रतानुसार संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा मण्डी शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
4. विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन करने वाली जिन इकाईयों के प्रकरण पूर्व में मण्डी शुल्क से छूट हेतु समिति द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन करने के कारण निरस्त किये गये थे, उन पर समिति द्वारा पुर्नविचार किया जाएगा और ऐसी इकाईयॉ जिन्होनें पूर्व में पात्रता न होने से आवेदन नहीं किया था, उनके प्रकरणों में विलंब दोष को शिथिल किया जाता है, वे इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से 90 दिवस के भीतर आवेदन कर सकेंगी।
5. मण्डी शुल्क की प्रतिपूर्ति बजट शीर्ष 2124–0101–V–44–008 से की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग

Financial FA

पृ.क्रमांक एफ 5–20/2017/अ–तेहत्तर भोपाल, दिनांक : 10/10/2017

प्रतिलिपि–

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग/किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग/उद्याानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
(वित्तीय सहायता कक्ष)

क्रमांक 8/विसहा/(5)/2015/2126–2187 भोपाल, दिनांक 12.10.2017

प्रतिलिपिः–

1. परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, समस्त मध्यप्रदेश।
2. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, समस्त मध्यप्रदेश।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक संचालक उद्योग,
कृते उद्योग आयुक्त,म.प्र.

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक /09/2017

क्र. एफ 16-05/2017/ए-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा विस्तार/शवलीकरण/तकनीकी उन्नयन अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अनुरूप मण्डी शुल्क से छूट प्रदान करने के संदर्भ में निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

(1) उद्योग संवर्धन नीति 2014 में निहित प्रावधान के अनुरूप नीति लागू होने के दिनांक 01/10/2014 से विस्तारित/डायवर्सिफाईड/तकनीकी उन्नयन करने वाली समस्त श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को निम्न योजनाओं/विशिष्ट वित्तीय सहायता में नीति प्रभावशील दिनांक से संशोधन कर मण्डी शुल्क से प्रदान निम्नानुसार की जाये।

(1) उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम श्रेणी की औद्योगिक परियोजनाओं के लिये जारी " मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई प्रोत्साहन योजना, 2014"

(2) उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत वृहद श्रेणी की औद्योगिक परियोजनाओं के लिये जारी "मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014"

(3) उद्योग संवर्धन नीति 2014 के क्रम में "वृहद श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिये जारी विशिष्ट वित्तीय सहायताएं "

2/ उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत समस्त श्रेणी की पात्र खाद्य प्रसंस्करण इकाईयॉ जिन्होने दिनांक 03/02/2016के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो तथा उक्त नीति अंतर्गत मण्डी शुल्क से छूट प्राप्त करने की पात्रता रखती हो, द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-08-2016-चौदह-3, दिनांक 03 फरवरी, 2016 में प्रस्ताव अनुरूप किये जाने वाले संशोधन की दिनांक तक मण्डी शुल्क भुगतान किया गया है, को उक्त अवधि में चुकाई गयी राशि की पात्रता की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाये।

3/ किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 03 फरवरी, 2016 में उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अनुरूप संशोधन कर उसे नीति की प्रभावशीलता दिनांक से प्रभावी किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम

से तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

निरंतर .....

Cabinet

पृ. क्र. एफ 16-05/2017/ए-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 15/09/2017

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव-कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग/उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फिसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

Cabinet